

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 27/2020 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00221

अपीलांत :- बनाम रेस्पोंडेन्टगण :-
लक्ष्मणनाथ पुत्र श्री नैननाथ जी, 1. राजस्थान सरकार जरिये
जाति-कालबेलिया, निनासी-दागला, भूमिधारी तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) 2. नायब तहसीलदार जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलांत की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना
सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

-:: निर्णय :-

दिनांक :-11.02.2021

अधिवक्ता अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार जैतारण के प्रकरण संख्या 252/2020 बअनवान सरकार बनाम लक्ष्मणनाथ में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2020 के विरुद्ध पेश की गई है। अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलांत द्वारा वर्ष 2017 में मौजा दागला पटवार हल्का मोहराई के खसरा नम्बर 84 की 0.10 बिघा भूमी किस्म गैर मुमकिन बाला पर पक्का मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। इस बाबत पटवार हल्का मोहराई द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट पेश करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अपीलांत के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है अपीलांत द्वारा जिस भूमी पर मकान बना कर अतिक्रमण किया गया है वह गैर मुमकिन बाला की भूमी है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमी होने से इसका नियमन अपीलार्थी के हक में नहीं किया जा सकता है तथा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 भी प्रमाणित भूमी होने से अपीलांत के हक में उक्त भूमी का आवंटन नियमन नहीं किया जा सकता है उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलांत के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर अतिक्रमित आराजी से बेदखल किया जाने के आदेश पारित किया गया जिसे यथावत रखा जावे।

अधिवक्ता अपीलांत ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील आराजी पर अपीलांत का मकान निर्माा किया हुआ है जिस पर लाईट का कनेक्शन भी लिया हुआ है अपीलांत के पास इसके अलावा अन्य रहवासी मकान नहीं होने से इसी में रह रहा है तथा अपीलार्थी का 20 वर्षों से कब्जा है व रहवास कायम है। वर्तमान में मौके पर नदी व बाला नहीं है न ही भूमी काबिल काश्त है। इस भूमी की अपीलार्थी के विरुद्ध पटवार हल्का द्वारा की गई अतिक्रमण रिपोर्ट को ही साबित मानकर आदेश पारित कर दिया गया है अपीलार्थी को मातहत अदालत द्वारा सुनवाई एवं सबूत पेश करने का समय नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। अधिवक्ता अपील अपीलांत ने इस न्यायालय में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 199(6) राज./2000/2 दिनांक 11.12.2012 की प्रति एवं 2012 (1) आरआरटी 94 न्यायिक दृष्टांत की प्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आराजी को नायब तहसीलदार को उक्त आदेश एवं दृष्टांत के मध्यनजर आराजी को अपीलांत के हक में नियमन आवंटन की सिफारिश के साथ प्रकरण सक्षम अधिकारी को भिजवाना चाहिए था ऐसा नहीं कर अतिक्रमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के साथ ही लगान का 50 गुणा जुर्माना आदेश पारित किए गए है जो विधि सम्मत नहीं होने से मातहत अदालत का निर्णय अपास्त फरमाया जावे एवं प्रकरण पुनः रिमाण्ड फरमावे।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11.12.12 एवं न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार जैतारण द्वारा पटवार हल्का मोहराई की अतिक्रमण रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश.....2



राजस्व अपील :: 27/2020 "लक्ष्मणनाथ बनाम राजस्थान सरकार वगैरा"


::2::

अपीलांत लक्ष्मणनाथ तारीख पेशी 02.09.2020 को न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा उसके बाद तारीख पेशी 10.09.2020 को नियत की गई तथा निर्णय दिनांक 14.09.2020 को किया गया प्रार्थी इन तीन अवसरों पर अपना साक्ष्य सबूत जबाब प्रार्थना पत्र आदि प्रस्तुत कर सकता था जो नहीं किया गया न ही इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर समय ही चाहा गया। तत्पश्चात हि निर्णय पारित किया गया जो विधिसम्मत होने से इसे अपास्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी को जारी नोटिस भी उसके स्वयं के द्वारा तामील सुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में है अपीलार्थी द्वारा ग्राम दागला के खसरा नम्बर 84 रकबा 0.10 बिघा भूमि किस्म गैर मुमकिन बाला पर अतिक्रमण किया गया है जो राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में होने से इसका नियमन आवंटन नहीं किया जा सकता है जो अधिवक्ता अपीलांत द्वारा प्रस्तुत राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.12.2012 की प्रति में ही अंकित है। जैर अपील भूमि माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी प्रभावित होने से अपीलार्थी के हक में नियमन आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया, तथा तहसीलदार न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नियमानुसार फैसला/निर्णय पारित किया गया।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांत सारहीन तथा बलहीन होने से खारिज की जाती है एवं नायब तहसीलदार जैतारण द्वारा हस्तगत प्रकरण संख्या 252/2020 बअनवान सरकार बनाम लक्ष्मणनाथ में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2020 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली